Manas Polymers and Energies Ltd.
Polymers and Energies Ltd.
Plot No. 3, Baraghata Industrial Area,
Jhansi Road, Gwalior (M.P.)
Mob.: 7509441000

CIN-U22203MP2024PLC069462
http://www.manaspolymers.com, Email- admin@manaspolymers.com

Date: August 26, 2026

To,
The Manager
National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**").
"Exchange Plaza", 5th Floor, Plot No. C/1, G,
Block, Bandra-Kurla Complex Bandra (East),
Mumbai - 400 051.

Subject: **Intimation of newspaper publication of Record Date for Rights Issue.**

Ref.: **MANAS POLYMERS AND ENERGIES LIMITED, NSE Symbol: MPEL, ISIN: INEOU4H01011.**

Dear Sir/Madam,

In furtherance to intimation under Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Regulation 68 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 about Record Date for the Rights Issue of Manas Polymers And Energies Limited ("**Company**"), the Company has published notice of Record Date in the newspaper which is enclosed herewith for your record purpose.

Kindly take the same on your record and acknowledge receipt of the same.

Thanking you.
For MANAS POLYMERS AND ENERGIES LIMITED

VINEET BHADAURIA

Digitally signed by VINEET BHADAURIA
DN: c=IN, o=Personal, 2.5.4.20=af2b43a2afcdb6b779d80e816252096882daca8bfbda266cf1806a3f3e45e30a, postalCode=474011, st=Madhya Pradesh, serialNumber=e60c7d20dc8695d01b348747ace40bc0815ac680e207c34768b1e1c0abc09999, cn=VINEET BHADAURIA
Date: 2026.08.26 14:29:05 +05'30'

VINEET BHADAURIA
MANAGING DIRECTOR
DIN: 01145562

Northern ARC Capital Ltd

Head Off: 10th Floor – Phase 1, IIT- Madras Research Park, Kanagam Village, Taramani, Chennai 600113

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST (SARFAESI) ACT, 2002

Whereas you, the Borrower's, Co-Borrower's, Guarantor's and Mortgagor's mentioned in Para No. 1 of the table hereinbelow have availed loans from Northern Arc Capital Ltd by mortgaging your immoveable property. Consequent to the defaults committed by you all, your loan account has been classified as a Non-Performing Asset in accordance with Reserve Bank of India's guidelines and whereas Northern Arc Capital Ltd being a secured creditor under the SARFAESI Act, and in exercise of powers conferred under Section 13(2) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice calling upon to repay the amount mentioned in the notices within 60 days. The amounts due and payable by you to Northern Arc Capital Ltd are more particularly described in the following table. Please note, further interest and charges thereto on the said amount till the date of payment shall also be applicable.

1) Name of the Applicant ICo-Applicants/ Guarantor's and Mortgagor's:

1(a). MR. RAJENDRA SINGH NAGAR...BORROWER P.h. No. 48 (saral No. 2254), Survey No 48 Gram Sarsoda Mai Road,sonkatch, Dewas, Madhya Pardesh 455115 Mob No : 8109125410, **2(A). MRS. Babita Nagar W/o RAJENDRA SINGH NAGAR ... CO-BORROWER** P.h. No. 48 (saral No. 2254), Survey No 48 Gram Sarsoda Mai Road, Sonkatch, Dewas, Madhya Pardesh 455115 Mob No : 8982791153

2) Loan details (Disbursement /NPA & Notice date/Outstanding amount:

(a) Loan Account No. 15043595893 for an amount of INR 2274739 /- (Rupees Twenty Two Lakh Seventy Four Thousand Seven Hundred and Thirty Nine Only) **(b) Non-Performing Asset on** 03rd August 2026, **(c) Demand notice dated** 24TH August 2026, Outstanding dues is of **loan account No.** 15043595893, **INR 2435168.47/-** (Rupees Twenty Four Lakh Thirty Five Thousand One Hundred and Sixty Eight and forty Seven Paise Only) as on 18th August, 2026 along with future interest at the contractual rate on the aforesaid amount together with incidental expenses, costs, charges, etc

3) Description of the Immoveable Properties: All that piece and parcel of property being Plot/House At P.H. No. 48 (Saral No. 2254), Sarve No.394 Paiki, Gram Sarsoda, The Sonkatch Dist Dewas (M.P.) together with all movables & receivables, all existing buildings and structures thereon and buildings and structures as may be erected/constructed there upon any time from/after the date of respective mortgages and all additions thereto and all fixtures and furniture's attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth, both present and future and bounded as under: EAST: Local Road, WEST: Land Of Aanand Singh Darbar, NORTH: Land Of Aalok Singh Nagar., SOUTH: Local Road

You are hereby called upon to make the payment of the aggregate amount as per the details mentioned in the above table along with further interest at contractual rate and other costs, charges and incidental expenses thereto till the date of payment within 60 days from the date of publication of this notice failing which the undersigned will be constrained to initiate appropriate proceedings under section 13(4) and section 14 of the SARFAESI Act against the mortgaged property mentioned hereinabove to realise the amount due to Northern Arc Capital Ltd. Further, you are prohibited under section 13(13) of the said act from transferring the said secured asset either by way of Sale/Lease or otherwise.

Place: 26-08-2026 | **Authorised Officer**
Date: Dewas | **For Northern Arc Capital Limited**

Northern ARC Capital Ltd

Head Off: 10th Floor – Phase 1, IIT- Madras Research Park, Kanagam Village, Taramani, Chennai 600113

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST (SARFAESI) ACT, 2002

Whereas you, the Borrower's, Co-Borrower's, Guarantor's and Mortgagor's mentioned in Para No. 1 of the table hereinbelow have availed loans from Northern Arc Capital Ltd by mortgaging your immoveable property. Consequent to the defaults committed by you all, your loan account has been classified as a Non-Performing Asset in accordance with Reserve Bank of India's guidelines and whereas Northern Arc Capital Ltd being a secured creditor under the SARFAESI Act, and in exercise of powers conferred under Section 13(2) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice calling upon to repay the amount mentioned in the notices within 60 days. The amounts due and payable by you to Northern Arc Capital Ltd are more particularly described in the following table. Please note, further interest and charges thereto on the said amount till the date of payment shall also be applicable.

1) Name of the Applicant ICo-Applicants/ Guarantor's and Mortgagor's:

1(a). MR. RAHUL NAGAR ...BORROWER Post-kanka Khajuriya Teh-Sonkatch Dudlai, Dewas, Madhya Pradesh-455118 Mob No : 8989898382, 2**(A). MRS. Imrat Galodiya … CO-BORROWER** C O Rahul Nagar Post-kanka Khajuriya Teh-sonkatch Dudlai, Dewas, Madhya Pradesh-455118 Mob No : 8717990038

2) Loan details (Disbursement /NPA & Notice date/Outstanding amount:

(a) Loan Account No. 101043651812 for an amount of **INR 1501262 /-** and Loan Account No. 102043226387 for an amount of **INR 540758 /-** totalling to **Rs. 20,41,020/-** (Rupees Twenty Lakh Forty Two Thousand Twenty Only) **(b) Non-Performing Asset on** 06th May 2026, **(c) Demand notice dated** 24TH August 2026, Outstanding dues is of **loan account No.** 101043651812 & 102043226387, **INR 22,47,636.74/-** (Rupees Twenty Two Lakh Forty Seven Thousand Six Hundred Thirty Six and Seventy Four paise Only) as on 18th August, 2026 along with future interest at the contractual rate on the aforesaid amount together with incidental expenses, costs, charges, etc

3) Description of the Immoveable Properties: [List of Title Deeds/Documents Deposited by the Mortgagor(s) with the mortgagee] s.No.1 Particulars of the Documents Remarks Original E-Registered GIFT DEED deed no MP108952024A1112651 Date 30/01/2024 Executed By Mr. Mangee Lal S/O Mr. Ram Singh, Resident Village Dudlai Tehsil Sonkatch District Dewas M.P. in favour of Mr. Rahul Nagar S/O Mr. Parmanand Nagar, Resident Village Dudlai Tehsil Sonkatch District Dewas M.P. Land Survey No. 499 Peki, Gram Dudlai, P.H. No. 27 (Saral No. 2271) Tehsil Sonkatch Dist. Dewas (M.P.) Witch is Bounded As Follwes: EAST: LAND OF LAKHAN, WEST: PIPALRAWA ROAD, NORTH: HOUSE OF ANKIT., SOUTH: LAKHAN SINGH WAY, Total Plot/ House Area - 2500 Sq Ft. (232.34 Sq. Mt.)

You are hereby called upon to make the payment of the aggregate amount as per the details mentioned in the above table along with further interest at contractual rate and other costs, charges and incidental expenses thereto till the date of payment within 60 days from the date of publication of this notice failing which the undersigned will be constrained to initiate appropriate proceedings under section 13(4) and section 14 of the SARFAESI Act against the mortgaged property mentioned hereinabove to realise the amount due to Northern Arc Capital Ltd. Further, you are prohibited under section 13(13) of the said act from transferring the said secured asset either by way of Sale/Lease or otherwise.

Place: 26-08-2026 | **Authorised Officer**
Date: Dewas | **For Northern Arc Capital Limited**

Phoenix ARC Limited

POSSESSION NOTICE

REGISTERED OFFICE: 3rd Floor | Wallace Towers (earlier known as Shiv Building) | 139/140/B/1 | Crossing of Sahar Road and Western Express Highway | Vile Parle (E), Mumbai - 400 057

Whereas, the Authorized Officer of **Phoenix ARC Limited (formerly known as Phoenix ARC Private Limited) (acting as trustee of Phoenix Trust FY21-6) (Phoenix)** under the securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13(2) read with rule 3 of the security interest (enforcement) rules, 2002 issued demand notices to the borrowers, co-borrowers, guarantors as detailed hereunder, calling upon the respective borrowers, co-borrowers, guarantors to repay the amount mentioned in the said notices within 60 (sixty) days from the date of receipt of the same. The said borrowers, co-borrowers, guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers, co-borrowers, guarantors and public in general that the authorized officer of the company has taken possession of the property described hereunder in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said act r/w rule 8 of the said rules on the dates mentioned along with. The borrowers, co-borrowers, guarantors in particular and public in general are hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of Phoenix for the amount specified therein with future interest, costs and charges from the respective dates.

Details of the borrowers, co-borrowers, guarantors, properties mortgaged, name of the trust, outstanding dues, demand notices sent under section 13(2) and amounts claimed there under are given as under:

Sl. No.	Name and Address of the borrower, Co-Borrower, Loan account No., Loan amount	Details of the securities	1. Demand notice date 2. Date of Symbolic/Physical Possession 3. Amount due in Rs.
1.	**1.CHHIDADULAL VASORA JATAV** (S/D/W of Vasora Jatav) Ward No. 22 Trilokpuri Colony Ashok Nagar Guna Madhya Pradesh (India)-473331 **And Also At** : Veterinary Department Mahatma Bade Ke Pass Ashok Nagar Guna Madhya Pradesh India 473331 **Amar Singh Chiddu Lal Jatav** (S/D/W of) Ward No. 22, Tirlokpuri Colony, Ashok Nagar, Guna Guna,Madhya Pradesh,(India)-473331 **Loan Account Number: LXGUN00116-170024966** **Loan Amount Sanctioned:Rs.8,33,794/-** (Rupees Eight Lakh Thirty Three Thousand Seven Hundred & Ninety Four Only)	All That Piece And Parcel Of Mortgaged Property Of Survey No-33/2/Min-1 P H No 27 Present Ward No-22 Rajeev Ward Area Ashok Nagar Tehsil & Dist Ashok Nagar Nr By Kailash Puri Colony 473331 Guna Madhya Pradesh	**1) Demand Notice Date 04-05-2019** **2) Date of Physical Possession-19-08-2026** **3) Amount due in Rs. 818697/-** (Rupees Eight Lac Eighteen Thousand Six Hundred Ninety Seven Only) Due And Payable As of 24-04-2019 With Applicable Interest From 25-04-2019 Until Payment In Full.`

PLACE: MP | **AUTHORISED OFFICER**
DATE: 26-08-2026 | **FOR PHOENIX ARC LIMITED, (TRUSTEE OF PHOENIX TRUST FY21-6)**

Polymers and Energies Ltd.

Manas Polymers and Energies Ltd.

CIN-U22203MP2024PLC069462
Plot No. 3, Baraghata Industrial Area, Jhansi Road, Gwalior (M.P.) **Mob.:** 7509441000
http://www.manaspolymers.com, **Email-** admin@manaspolymers.com

Notice is hereby given pursuant Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015, that the Company has fixed Monday, **August 31, 2026** as the Record Date to determine the eligible shareholders of the Company entitled for issuance of 2 (Two) Rights Equity Share for every 1 (One) fully paid-up Equity Share of the Company held by the existing Equity Shareholders of the Company on Rights basis ('Rights Issue).

The above details are also available on the website of the Company i.e. https://www.manaspolymers.com/ and the website of the stock exchange where the shares of the Company are listed i.e. the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

By Order of the Board of Directors of
Manas Polymers And Energies Limited
Sd/-
VINEET BHADAURIA
MANAGING DIRECTOR
DIN: 01145562

Date: August 26, 2026
Place: Gwalior

Delivering Excellence. Since 1965.

VARDHMAN TEXTILES LIMITED

Registered Office: Vardhman Premises, Chandigarh Road, Ludhiana - 141 010 (Punjab), India, CIN: L17111PB1973PLC003345
Tel No: 0161-2228943-48, Fax: 0161- 2601048
Email: secretarial.lud@vardhman.com, Website: www.vardhman.com

NOTICE OF AGM AND E-VOTING DETAILS

Notice is hereby given that the **53rd Annual General Meeting (AGM)** of the Members of Vardhman Textiles Limited is scheduled to be held on **Thursday, 17th September, 2026 at 10:00 a.m.** through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with applicable Circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs and the SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Participation of Members through VC / OAVM will be reckoned for the purpose of quorum for the AGM as per Section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance to the above circulars, the Notice of the AGM alongwith Annual Report for the F.Y. 2025-26, has been sent to all the Members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). A letter providing the weblink, including the exact path, where the Annual Report and the Notice of the AGM for the financial year 2025-26 is available, will be sent to those members whose e-mail address is not registered with the Company/Registrar and Transfer Agent/Depository Participants/Depositories. The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.vardhman.com and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. Notice of AGM is also available on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

Further, pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and relevant circulars, the Company is pleased to provide the facility to Members, to exercise their right to vote, by electronic means on all the resolutions as set out in the Notice of AGM, either through remote e-Voting or e-Voting during AGM.

All the Members are informed that:

i. The remote e-Voting period shall commence from **Monday, 14th September, 2026 from 9:00 a.m. and shall end on Wednesday, 16th September, 2026 at 5:00 p.m.** The remote e-Voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for e-Voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;

ii. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means is **Thursday, 10th September, 2026;**

iii. Any person, who acquires shares and become Member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. **Thursday, 10th September, 2026**, may cast their votes by following the instructions and process of e-Voting as provided in the Notice of AGM.

iv. Members may note that:

a) the manner of e-Voting by Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM and is also available on the website of the Company;

b) Members holding shares in physical mode and who have not registered/ updated their email address with the Company are requested to register/update the same by writing to the Company with details of folio number and submitting duly filled relevant KYC forms as available on the website of the Company i.e. www.vardhman.com, at secretarial.lud@vardhman.com or to RTA at rta@alankit.com;

c) Members holding shares in dematerialized mode who have not registered/updated their email address with their Depository Participant(s) are requested to register/update their email addresses with the relevant Depository Participant;

d) The voting rights of Members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date;

e) the Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again;

f) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of e-Voting;

g) the result of the resolutions passed at the AGM will be declared within 2 working days from the conclusion of AGM.

For any queries you may contact the following:-
Contact Person : Mr. Sanjay Gupta
Designation : Company Secretary
Address : Registered Office, Vardhman Premises, Chandigarh Road, Ludhiana-141010, Punjab
E-mail : secretarial.lud@vardhman.com
Phone No.: 0161-2228943-48

By order of the Board of Directors
Sd/-
(Sanjay Gupta)
Company Secretary

Place: Ludhiana
Date : 25.08.2026

ब्रीफ न्यूज़

दीनारपुर मंडी के विस्तार कार्यों व आधुनिकीकरण के लिये लगभग 5.14 करोड़ स्वीकृत

ग्वालियर। ग्वालियर शहर में दीनारपुर स्थित कृषि उपज उपमंडी का कायाकल्प होने जा रहा है। राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि उपज मंडी दीनारपुर के आधुनिकीकरण एवं निर्माण कार्यों के लिये लगभग 5 करोड़ 14 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। जिला प्रशासन की पहल पर कृषि उपज मंडी दीनारपुर का कायाकल्प होने जा रहा है। इससे किसान सुविधाजनक तरीके से अपनी उपज बेच सकेंगे। साथ ही उन्हें विश्राम की बेहतर सुविधा सहित अन्य बुनियादी सुविधायें उपलब्ध होंगीं। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बताया कि दीनारपुर उप मंडी के कायाकल्प के लिये स्वीकृत किए गए कार्यों में लगभग 22 लाख 68 हजार रुपए की लागत से कृषक विश्राम गृह का विस्तार व आधुनिकीकरण शामिल है। इसके अलावा मंडी की संरचनाओं के मरम्मत कार्य के लिये 49 लाख 98 हजार, पाइप लाइन कार्य के लिये 18 लाख 50 हजार, मंडी के पहुँचमार्ग व मरम्मत कार्य के लिये 75 लाख 11 हजार, कार्यालय भवन के आसपास पेवर कार्य के लिये 18 लाख 50 हजार, कैटल प्रोटेक्टर के लिये 6 लाख, ट्रॉली शेड से गेट क्र.-2 तक सीसी कार्य के लिये 187 लाख, गेट क्र.-2 न्यू चैक पोस्ट एवं गार्ड रूम के लिये 34 लाख 38 हजार, बाउण्ड्रीवॉल मरम्मत कार्य के लिये 12 लाख 50 हजार, 33 केव्ही एलटी लाइन शिफ्टिंग के लिये 24 लाख 87 हजार, भवनों में आधुनिक विद्युतीकरण के लिये 22 लाख 29 हजार, मंडी की संरचनाओं की मरम्मत के लिये 31 लाख 98 हजार, ओएचटी व सम्पवेल मिलान के लिये 7 लाख 90 हजार एवं गेट पर स्थित पानी की टंकी को वाटर कूलर रूम के ऊपर शिफ्ट करने के लिये लगभग 2 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है।

वार्ड क्र. 36 में हुआ महिला कांग्रेस का 'सखी-संवाद'

ग्वालियर। मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ मजबूती से जमीनी स्तर पर संघर्ष करने के उद्देश्य से वार्ड क्रमांक 36 में चौहान निवास पर महिला कांग्रेस का एक 'सखी संवाद' कार्यक्रम श्रीमती नीतू केके चौहान द्वारा महिला कांग्रेस ग्वालियर की नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ज्योति सिंह के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। बैठक में उपस्थित क्षेत्रीय महिलाओं को संबोधित करते हुए महिला जिला अध्यक्ष ज्योति सिंह ने भाजपा सरकार में महिलाओं पर बढ़ते शोषण और अत्याचारों के मामलों के खिलाफ हर स्तर पर अपनी आवाज को बुलंद करते हुए महिलाओं को अपना सबला स्वरूप दिखाने का आह्वान किया। साथ ही बैठक में उपस्थित समस्त महिलाओं से आपसी समन्वय और परिचय को बढ़ाकर सामूहिक रूप से कांग्रेस पार्टी को साथ मिलकर देने की अपील भी महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने की। इस अवसर पर सर्वप्रथम श्रीमती नीतू केके चौहान द्वारा महिला कांग्रेस ग्वालियर की नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ज्योति सिंह के अलावा उपस्थित महिला पदाधिकारियों और क्षेत्रीय महिलाओं का स्वागत किया गया।

राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन

सत्ता सुधार ■ ग्वालियर

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत मेरा युवा भारत केंद्र, ग्वालियर द्वारा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान में आयोजित 6 दिवसीय क्लस्टर स्तरीय राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम 2026-27 का मंगलवार को गरिमापूर्ण समापन हुआ। 20 से 25 अगस्त तक आयोजित हुए इस प्रशिक्षण में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया एवं श्योपुर जिलों के नवचयनित राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों ने सहभागिता की। समापन समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव को अपने-अपने क्षेत्रों में सामाजिक सेवा, जनजागरूकता और राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में उपयोग करें। उन्होंने स्वयं सेवकों से अनुशासन, सेवा भावना और सकारात्मक सोच के साथ समाज में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता मेरा युवा भारत केंद्र की जिला युवा अधिकारी श्रीमती अंजली कुमारी ने की। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य युवा स्वयं सेवकों को आवश्यक कौशल, नेतृत्व क्षमता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए तैयार करना है। उन्होंने कहा कि स्वयं सेवक प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त सीख को अपने-अपने गांवों एवं क्षेत्रों में प्रभावी रूप से लागू करते हुए युवाओं को जोड़ने और समाजहित की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला युवा अधिकारी गुना तनिष्क सक्सेना उपस्थित रहे। उन्होंने स्वयंसेवकों को युवा नेतृत्व, सामाजिक सहभागिता एवं राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहने के लिए प्रेरित किया। छह दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान स्वयं सेवकों को युवा नेतृत्व, व्यक्तित्व विकास, मोटिवेशन, सामाजिक सेवा, सरकारी योजनाओं, सामुदायिक सहभागिता, टीम भावना, खेल एवं राष्ट्र निर्माण सहित विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों एवं मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के माध्यम से स्वयं सेवकों में नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल, निर्णय लेने की क्षमता तथा सामाजिक कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के कौशल विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया।

इस अवसर पर प्रशिक्षण में सहभागिता करने वाले स्वयं सेवकों ने अपने अनुभव भी साझा किए और प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त सीख को अपने-अपने क्षेत्रों में सामाजिक एवं युवा विकास की गतिविधियों के माध्यम से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन सफल युवा मंडल के अध्यक्ष श्री अरविंद कुशवाहा द्वारा किया गया। समापन अवसर पर सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

झाँसी मंडल में टिकट जाँच व्यवस्था को बनाया गया अधिक सुरक्षित एवं पारदर्शी

क्यूआर कोडयुक्त डिजिटल टिकट चेकिंग अथॉरिटी से फर्जी एवं अनधिकृत पहचान पत्रों पर लगेगी रोक

सत्ता सुधार ■ झाँसी

मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमन वर्मा के दिशानिर्देश में रेलवे में टिकट जाँच व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी, प्रभावी एवं तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने की दिशा में झाँसी मंडल द्वारा टिकट जाँच हेतु अधिकृत रेलवे कर्मचारियों के लिए डिजिटल एवं भौतिक पहचान पत्र आधारित नई प्रणाली विकसित की गई है। टिकट चेकिंग अथॉरिटी वह प्राधिकार है, जिसके माध्यम से अधिकृत रेलवे कर्मचारी को यात्रियों के टिकट, पास तथा यात्रा की वैधता की जाँच करने का अधिकार प्राप्त होता है। इस प्राधिकार के अंतर्गत अधिकृत टिकट जाँच कर्मचारी निर्धारित नियमों के अनुसार स्टेशनों तथा यात्री गाड़ियों के यात्री कोचों के साथ-साथ इंजन, पेंट्रीकार एवं ब्रेक-वैन आदि में भी टिकट जाँच कर सकते हैं। फर्जी टिकट चेकिंग अथॉरिटी एवं पहचान पत्रों के उपयोग की रोकथाम के उद्देश्य से आज झाँसी मंडल के टिकट जाँच स्टाफ को पीवीसी कार्ड एवं क्यूआर कोडयुक्त नई टिकट चेकिंग अथॉरिटी वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अमन वर्मा, मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री पंकज कुमार त्रिपाठी एवं सहायक वाणिज्य प्रबंधक श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव द्वारा जारी की गई। नई टिकट चेकिंग अथॉरिटी में क्यूआर कोड एवं डिजिटल सत्यापन की सुविधा उपलब्ध है। इसके माध्यम से कार्ड की जानकारी अधिकृत डेटाबेस से सत्यापित की जा सकेगी तथा अनधिकृत अथवा फर्जी कार्ड की पहचान करने में सहायता मिलेगी। नई प्रणाली में अधिकृत प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कार्ड को सक्रिय अथवा निष्क्रिय करने, वैधता प्रबंधन, आवश्यक अनुमति प्रदान करने तथा सत्यापन संबंधी गतिविधियों की निगरानी जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। डिजिटल पहचान प्रणाली के माध्यम से टिकट जाँच व्यवस्था में जवाबदेही एवं पारदर्शिता बढ़ेगी, अनधिकृत पहचान पत्रों के उपयोग एवं दुरुपयोग में कमी आएगी तथा टिकट जाँच कर्मचारियों के रिकॉर्ड का प्रबंधन अधिक सरल, सुरक्षित एवं प्रभावी हो सकेगा। यह पहल भारतीय रेल में डिजिटल तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने तथा यात्री सेवाओं एवं टिकट जाँच व्यवस्था को अधिक विश्वसनीय, सुरक्षित एवं आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पं. रवि आनंद गौड़ सर्व ब्राह्मण महासंघ के महामंत्री नियुक्त

सत्ता सुधार ■ ग्वालियर

सर्व ब्राह्मण महासंघ ने संगठन की मजबूती एवं समाज की एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पं. रवि आनंद गौड़ को सर्वसम्मति से महासंघ का महामंत्री नियुक्त किया है। प्रेस विज्ञप्ति में सर्व ब्राह्मण महासंघ के मीडिया प्रभारी कपिल भार्गव ने बताया कि सर्व ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष रामनारायण मिश्रा ने महासंघ से जुड़े सभी ब्राह्मण उपवर्गीय संगठनों के अध्यक्ष महासंघ में उपाध्यक्ष हैं।

उन सभी पदाधिकारियों की सहमति एवं विचार-विमर्श के बाद पं. रवि आनंद गौड़ को महामंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। नवनियुक्त महामंत्री पं. रवि आनंद गौड़ ने अध्यक्ष एवं सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे समाज की एकता, संगठन की मजबूती और समाजहित के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। उनकी नियुक्ति पर अध्यक्ष रामनारायण मिश्रा, कोषाध्यक्ष प्रकाश नारायण शर्मा, उपाध्यक्ष किशन मुद्गल, जयवीर भारद्वाज, रामबाबू कटारे, महेश मुद्गल, श्रीराम शर्मा, शशिकांत दीक्षित, जगदीश शर्मा एडवोकेट, राजेश नायक,राम पाठक, महेश मिश्रा, अरविन्द शुक्ला, भुवनेश्वर सोनू बाजपेयी, इंजी. विजय शर्मा, नरेंद्र कुमार शर्मा, राघवेन्द्र शर्मा, देवेन्द्र मरैया, सहित महासंघ के पदाधिकारियों एवं विभिन्न ब्राह्मण संगठनों के प्रतिनिधियों ने बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल कार्यकाल की कामना की। यह जानकारी महासंघ के मीडिया प्रभारी कपिल भार्गव ने दी।

नामदेव समाज विकास परिषद मप्र का प्रथम परिचय सम्मेलन का आगाज इंदौर संभाग-निमाड़ की धरा पर

सत्ता सुधार ■ ग्वालियर

नामदेव समाज विकास परिषद मध्यप्रदेश के तत्वाधान में एवं निमाड़ मालवा नामदेव समाज टीम की संयुक्त सहभागिता में 1 नवंबर 2026 को सकल दर्जी समाज (समस्त घटक) का भव्य युवक युवती परिचय सम्मेलन मनावर जिला धार में प्रस्तावित किया गया है।

निमाड़ मालवा नामदेव समाज टीम द्वारा सकल दर्जी समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन कार्यक्रम की सामूहिक घोषणा संत नामदेव सामुदायिक भवन भोपाल में नामदेव समाज विकास परिषद मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र नामदेव गाडरवारा द्वारा सभी समाज बंधुओं को साझा की गई। अध्यक्ष के द्वारा इस प्रस्ताव पर मुख्य संरक्षक मुकेश सिंह नामदेव (आशीर्वाद ग्रुप ईंदौर), प्रदेश महामंत्री सुभाष वर्मा इंदौर, प्रदेश कोषाध्यक्ष भीकम सिंह नामदेव भोपाल सहित उपस्थित समस्त वरिष्ठ समाजसेवी जनों के बीच स्वीकार किया गया। आयोजन की विभिन्न जानकारी प्रदेश उप महामंत्री शिवानंद अग्रोटिया द्वारा प्रदान की गई। साथ ही आयोजन की मुख्य भूमिका में सलग्न नामदेव समाज विकास परिषद प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र वर्मा बड़वानी, इंदौर संभाग के अध्यक्ष सोनू नामदेव मनावर, वरिष्ठ समाजसेवी विजय चौधरी सुसारी, शैलेंद्र नामदेव बड़वानी नंदकिशोर नामदेव इंदौर को अध्यक्ष द्वारा नेक कार्य करने की योजना बनाने हेतु साधुवाद प्रकट किया गया एवं नामदेव समाज विकास परिषद मध्यप्रदेश एवं निमाड़ मालवा नामदेव समाज टीम सूर्यवंशी नामदेव समाज टीम द्वारा किए जा रहे प्रथम भव्य आयोजन में सभी के द्वारा यथा योग्य अपनी सहभागिता प्रदान करने की अनुमति भी प्रदान की गई।

ग्वालियर पूर्व विधानसभा से हटाया अस्थाई अतिक्रमण, यातायात में बाधक ठेले किए जप्त

सत्ता सुधार ■ ग्वालियर

नगर निगम के मदाखलत अमले द्वारा सुगम यातायात के लिए शहर के विभिन्न स्थानों से अस्थाई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निरंतर जारी है। नोडल अधिकारी केशव सिंह चौहान ने बताया कि यातायात सुगम हो इसलिए अभियान चलाकर शहर के प्रमुख बाजारों से अस्थाई अतिक्रमण हटाया गया। जिसमें मदाखलत अधिकारी शैलेन्द्र सिंह चौहान के निर्देशन में पूर्व विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शुभम हॉस्पिटल की गली में से हाथ ठेला जप्त करने की कार्यवाही की। इसके उपरांत सिटी सेंटर आयकर भवन के पास गुमठी के आगे लगी तिरपाल को हटवाया और गुमठी को हटाने की सख्त हिदायत दी, नहीं हटाने पर जप्ती की कार्यवाही की जावेगी। इसके उपरांत मांडरे की माता के पास यातायात में बाधक हाथ ठेले जप्त कर कार्यवाही की। इसके साथ ही पटेल नगर में यातायात में बाधक ठेले वालों पर कार्यवाही कर अवैध रूप से खड़े ठेलों को जप्त किया गया। जप्त हाथ ठेलों को मदाखलत कार्यालय पर जमा किया। उक्त कार्यवाही में मदाखलत निरीक्षक श्री सुघर सिंह सिसोदिया व दल पूर्व उपस्थिति रहा।

गोरखी विद्यालय के विद्यार्थियों ने नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित पुस्तक मेले का किया भ्रमण

विद्यार्थियों ने पुस्तकों की विविधता और ज्ञानवर्धक साहित्य से कराया परिचय

सत्ता सुधार ■ ग्वालियर

विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ाने और उन्हें समृद्ध साहित्य से जोडने के उद्देश्य से गोरखी विद्यालय के विद्यार्थियों ने नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित पुस्तक मेले का भ्रमण किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकाशकों द्वारा प्रदर्शित पुस्तकों का अवलोकन किया और अपनी रुचि के अनुसार ज्ञानवर्धक एवं साहित्यिक पुस्तकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। पुस्तक मेले में विद्यार्थियों ने कहानी, साहित्य, विज्ञान, इतिहास, सामान्य ज्ञान, बाल साहित्य सहित विभिन्न विषयों पर उपलब्ध पुस्तकों को उत्सुकता के साथ देखा। विद्यार्थियों ने पुस्तक स्टॉलों पर पहुंचकर पुस्तकों की विषयवस्तु और उपयोगिता के बारे में जानकारी ली। पुस्तक मेले का यह भ्रमण विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक और रोचक अनुभव रहा। विद्यालय के शिक्षकों ने विद्यार्थियों को नियमित रूप से पुस्तकें पढने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि पुस्तकों के अध्ययन से विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि होने के साथ-साथ उनकी कल्पनाशक्ति, भाषा कौशल और रचनात्मक सोच भी विकसित होती है। इस प्रकार के शैक्षणिक भ्रमण विद्यार्थियों को कक्षा-कक्ष की पढ़ाई से बाहर सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। विद्यार्थियों ने पुस्तक मेले में विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को देखकर अपनी पसंद की पुस्तकों के बारे में जानकारी ली। कई विद्यार्थियों ने अपनी रुचि के विषयों से संबंधित पुस्तकों का चयन भी किया।

सीएम डॉ. यादव करेंगे गोदरेज की नई यूनिट का शुभारंभ आज, 2250 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार

सत्ता सुधार ■ भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 26 अगस्त को दोपहर 2 बजे भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की चौथी नई यूनिट का शुभारंभ करेंगे। इकाई के विस्तार पर 450 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है। इससे मालनपुर में उत्पादन क्षमता बढने के साथ 2,250 से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव पीडब्ल्यूडी नियुक्तियों के प्रमाण-पत्र भी वितरित करेंगे। इस अवसर पर श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री तथा भिंड जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, गोदरेज समूह की चेयरपर्सन निसाबा गोदरेज सहित गोदरेज समूह के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। विस्तार के अंतर्गत 10 मीट्रिक टन प्रति घंटे क्षमता वाला निरंतर सैपोनिफिकेशन संयंत्र और प्रति मिनट 217 बंडल की क्षमता वाली स्वचालित पैकेजिंग प्रणाली स्थापित की जा रही है। इसके साथ प्रतिवर्ष 42 करोड़ हेयर कलर सैशे, 14 करोड़ मच्छर निरोधक उत्पाद और 10 करोड़ एयर फ्रेशनर सैशे के उत्पादन की क्षमता विकसित होगी। हेयर क्रीम उत्पादन की क्षमता 7,300 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष होगी। इससे भिंड और आसपास के क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और स्थानीय स्तर पर औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। विस्तार के बाद राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 185 करोड़ रुपये का अतिरिक्त केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। गोदरेज द्वारा उत्पादन विस्तार के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डॉव जोंस सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार गॉदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स दुनिया की दूसरी सबसे टिकाऊ एफएमसीजी कंपनियों में शामिल है। मालनपुर संयंत्र में शून्य तरल अपशिष्ट उत्सर्जन प्रणाली के साथ 204 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड वर्ष 1991 से मालनपुर में संचालित है। औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कंपनी का संयंत्र 65 एकड़ क्षेत्र में फैला है।

अभिषेक चौधरी ने मंदिर में पूजा अर्चना कर निगमायुक्त का पदभार ग्रहण किया

ग्वालियर। नवागत निगमायुक्त अभिषेक चौधरी ने अचलेश्वर मंदिर एवं मंशापूर्ण हनुमान मंदिर पर पूजा अर्चना कर नगर निगम ग्वालियर के मुख्यालय में निगमायुक्त का पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर अपर आयुक्त टी प्रतीक राव, मुनीश सिकरवार, प्रदीप तोमर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। नवागत निगमायुक्त अभिषेक चौधरी ने पदभार ग्रहण करने से पहले अचलेश्वर महादेव मंदिर गए। वहां पर उन्होंने विधिविधान से भोलेनाथ का पूजन किया, इसके बाद उन्होंने मंशापूर्ण हनुमान मंदिर पर पूजा अर्चना की। वहां से वें सीधे नगर निगम मुख्यालय पहुंचे। मुख्यालय के मुख्यद्वार पर अपर आयुक्तों ने उनका पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया।